BIHAR STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
बुद्ध मार्ग, पटना / BUDH MARG, PATNA - 800 001
Email address- bslsa_87@yahoo.in / PHONE: 2230943 (O) FAX : 0612-2201390

Patron-in-Chief
Hon'ble the Chief Justice
Patna High Court, Patna

Hon'ble Executive Chairman
Hon'ble Mr. Justice
Shiva Kirti Singh
Patna High Court, Patna

Radha Krishna
Member Secretary

पत्रांक/LETT.No. 981
दिनांक/DATE 16-05-2012

To,

The District & Sessions Judge-cum-Chairman,
District Legal Services Authority,
Rohtas at Sasaram.

Ref:- Your Letter No.97 dated 24.04.2012

Sub:- Guidelines in respect of appointment of Staffs on Contract basis.

Sir,

As directed I inform your goodself that Draft of Guidelines was placed before His Lordship and His Lordship has been pleased to approve the guidelines and copy of which is enclosed with this letter to be followed.

So far payment of increment to contract staff is concerned in this regard correspondence is being made with the Law Department for clarification as to whether consolidated payment of emolument increasing time to time adding of increment as per Govt Notification or only initial stage of pay will be made along with DA and other allowances in the shape of consolidated amount meaning thereby there will ever be no increment to such staff so which one be followed may kindly be clarified.

This is for your goodself information and needful

Thanking you.

Encl:-One sheet.

Yours faithfully

16/05/12

(Radha Krishna)
Member Secretary
Bihar State Legal Services Authority

Copy to - All the Distt. & Sessions Judges-cum-chairmen, DLSAs of State of Bihar for information and needful

विषयः- **संविदा के आधार पर नियोजन के मार्ग दर्शक सिद्धान्त**

विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकारों /स्थायी लोक अदालतों में संविदा के आधार पर नियोजन हेतु स्वीकृत पदों पर भर्ती की गयी है । इस भर्ती में सामान्यतः बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प - ज्ञाप सं0 3/एम.-78/2005-का0 2401/पटना, दिनांक 18.07.2007 में दी गयी प्रक्रिया एवं मार्ग दर्शक सिद्धान्तों का अनुपालन किया गया है । कुछ जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकारों द्वारा उक्त संकल्प के कंडिका 4, जिसमें संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को समेकित (Consolidated) पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान है तथा एकरारनामें के कंडिका 2, जिसमें संविदा की अवधि की शर्त है, के संबंध में दिशा-निर्देश माँगा गया है ।

उक्त के संबंध में सम्यक विचारोंपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया है-

(1) आगे की कंडिकओं के अध्यधीन संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में सामान्यतः बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के उक्त संकल्प- ज्ञाप संख्या 3/एम0-78/2005-का0-2401/पटना, दिनांक 18.07.2007 में दिये गये मार्ग दर्शक सिद्धान्तों का अनुपालन किया जायेगा ।

(2) जिला विधिक सेवा प्राधिकार/ स्थायी लोक अदालत में संविदा पर नियुक्ति अस्थायी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत हुई है, जिसकी अवधि निश्चित नही है तथा बिना पूर्व सूचना के यह कभी भी समाप्त हो सकती है । अतः माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश के आलोक में यह नियोजन संविदा के आधार पर अगले आदेश तक के लिए किया जायेगा ।

(3) संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी को देय पारिश्रमिक का निर्धारण उस पद के प्रारंभिक स्टेज का वेतनमान, महँगाई वेतन, महँगाई भत्ता तथा सभी अन्य श्रेणी के भत्ते जैसे मकान भाड़ा-भत्ता को मिलाकर किया जायेगा । उक्त को मिलाकर जो समेकित (Consolidated) राशि आयेगी उसका भुगतान नियोजित कर्मी को किया जायेगा ।

(4) संविदा पर नियोजित कर्मी का एकरारनामा प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत किया जायेगा । नवीनीकृत किये गये एकरारनामा को राज्य प्राधिकार से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। अनुमोदन की केवल तब आवश्यकता होगी जब किसी भी कारण से संविदा को नवीनीकृत नही किये जाने का प्रस्ताव हो । राज्य प्राधिकार के निदेश/आदेश या अनुमोदन से ही संविदा के नवीनीकरण से इन्कार किया जायेगा अन्यथा नही । एकरारनामा नवीनीकृत किये जाने के समय नियोजित कर्मी को देय पारिश्रमिक का पुनर्निर्धारण उपर्युक्त कंडिका 3 के अनुसार किया जायेगा ।

(5) संलग्नक-1 में विहित प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न किया जायेगा ।

सदस्य सचिव
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार,
पटना